03/01/23 पत्रावली नाज पेश हुई दोनो पक्षो के वकील उपस्थित। नरेश कुमार के विरुद्ध जारी खुले न्यायालय के हुक्म नामा पत्रावली तिथि सुधार होकर दाखिल दफ्तर हुई।

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 123/2022

प्रार्थी

1. अनूदेवी पत्नी दानाराम
2. गंगादेवी पत्नी लाखाराम
3. तुलसीदेवी पत्नी कलाराम
4. सिरूदेवी पत्नी धूडाराम

जाति जाट निवासी लक्ष्मणनगर, मालपुरा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. मेघाराम पुत्र खेराजराम
2. अणसीदेवी पत्नि रूपाराम
3. उगराराम पुत्र खेराजराम
4. चुतराराम पुत्र सोनाराम
5. चन्द्रावती पत्नि राजेन्द्र कुमार
6. चम्पादेवी पत्नि राऊराम
7. चम्पादेवी पत्नी जगदीश कुमार
8. जोगाराम पुत्र उगराराम
9. देदाराम पुत्र सोनाराम
10. धाईदेवी पत्नि अचलाराम
11. धीराराम पुत्र सोनाराम
12. प्रदीप पुत्र सोनाराम
13. मेघाराम पुत्र खेराजराम
14. मीरोंदेवी पत्नि सोनाराम
15. राजूराम पुत्र उगराराम
16. सुखाराम पुत्र सोनाराम

जाति जाट निवासी लक्ष्मणनगर, मालपुरा तहसील नौखडा जिला बाड़मेर

17. तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :

1. श्री कुम्भाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीनीगण
2. श्री चिमनसिंह चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :–

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् तरमीम खसरा का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 ता 16 की खातेदारी का खेत ग्राम लक्ष्मणपुरा पटवार क्षेत्र [illegible]रा तहसील नौखडा में खसरा संख्या 165 रकबा 22.8080 हैक्टेयर का [illegible] हुआ है। जिस पर प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 16 का कब्जा काश्त है, ढाणियां, टांके, लाटा आदि बने हुए हैं। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 ता 16 के पूर्वज जेहा पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

आईदान द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 को 48 बीघा भूमि का बेचान किया गया जिसका नामान्तरण संख्या 211 से नये खसरा नम्बर 165/1 कायम हुए। राजस्व कार्मिकों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 211 की पुष्ट पर अंकित तरमीम से भिन्न तरमीम भिन्न किये जाने से प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण की मौजूदा कब्जा काश्त व राजस्व रेकर्ड की तरमीम में भिन्न आ जाने से राजस्व कार्मिकों द्वारा उक्त कलमीय भूल सुधार हेतु तरमीम दुरूस्ती का यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के न्यायालय में लाना आवश्यक होने से पेश किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1, 3, 6, 8, 15 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का लिखित जबाव पेश जबाव पेश कर कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 1 को वक्त बेचान कब्जे में दी गई भूमि पर कब्जा काश्त है तथा ढाणियां, चारवाडे, पानी के संसाधन आदि बने हुए हैं, प्रार्थीगण ने 42 वर्षों पूर्व किये बेचान को लेकर अब नीयत खोट आ जाने से विप्रार्थीगण को येनकेन प्रकरण परेशान करने एवं कीमती जमीन हडपने की नीयत से यह तरमीम दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

दौनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न प्रस्तुत नामान्तरणकरण संख्या 211 की पुश्त पर अंकित तरमीम व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित तरमीम का अवलोकन किया गया। नामान्तरणकरण की पुश्त पर अंकित व वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित तरमीम में भिन्नता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से ग्राम मालपुरा के नामान्तकरण संख्या 211 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार जमाबन्दी में अंकित रकबे की सीमा तक तरमीम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नौखडा आदेशों की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करें। खर्चा पक्षकार अपना अपना स्वयं वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.01.13 15:40:17 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी